

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-सूरजपुर छ0ग0

क्र./290/मान्यता/अनुमति/2018-19,

//आदेश//

सूरजपुर, दिनांक 19/11/20

प्रबंधक


बच्चों को निःशुल्क ओर अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के खण्ड 18 के उद्देश्य के लिये बच्चों को निःशुल्क ओर अनिवार्य शिक्षा कानून के नियम 11 के उप-नियम (4) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

आपका आवेदन पत्र दिनांक 29.10.2018 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण उपरान्त डी0ए0वी0 पब्लिक स्कूल भटगांव (अंग्रेजी माध्यम), वि0ख0 मैयाथन, जिला-सूरजपुर (छ0ग0) को कक्षा नर्सरी से 12वीं तक नवीनीकरण/नवीन मान्यता/अनुमति तीन वर्ष की अवधि के लिए जो 21.07.2018 से 30.06.2021 तक प्रभावशील रहेगा, (सशर्त) मान्यता/अनुमति/नवीनीकरण प्रदान किया जाता है।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

- 1 मान्यता की स्वीकृति परिवर्धनीय नहीं है ओर किसी भी प्रकार से कक्षा वाद की मान्यता से संबंधित नहीं है।
- 2 बच्चों को निःशुल्क ओर अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 (एनेक्सर) ओर बच्चों को निःशुल्क ओर अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 विद्यालय के लिए बंधनकारी रहेगा।
- 3 विद्यालय पड़ोस के कमजोर वर्ग ओर सुविधाहीन समूह के बच्चों को कक्षा 1ली की दर्ज संख्या तक प्रवेश देगा ओर प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक निःशुल्क ओर अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की स्थिति में भी यही मानक लागू होगा।
- 4 परिच्छेद 3 में संदर्भित बच्चों के लिए कानून के खण्ड 12 (2) के अनुसार विद्यालय को व्यय प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसे प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने लिए विद्यालय पृथक बैंक खाता उपलब्ध कराएगा।
- 5 सोसायटी/विद्यालय कोई भी कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा ओर न ही बच्चे का उसके माता पिता का या पालकों का स्क्रीनिंग टेस्ट करेगा।
- 6 विद्यालय आयु प्रमाण-पत्र के अभाव में साथ ही धर्म, जाति या वंश, जन्म स्थान या अन्य आधार पर किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं करेगा।
- 7 विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि :-
 - i प्रवेशित किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी कक्षा में रोका नहीं जायेगा या विद्यालय से निकाला नहीं जायेगा।
 - ii किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जावेगी।
 - iii किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है।
 - iv प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 23 में यथानुसार प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - v कानून के प्रावधानों के अनुसार विकलांगता/विशेष आवश्यकता वाले छात्रों का समावेश।
 - vi शिक्षक कानून के खण्ड 23 (1) में निर्दिष्ट न्यूनतम सहित नियुक्त किए जाते हैं। 5 वर्ष की समयावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं प्राप्त करेंगे।

Manyata - 74

Self attested

PRINCIPAL
D.A.V. Public School
Bhatgaon, Surajpur (C.G.)
Pin-497235

- vii शिक्षकों को देय वेतन और भत्ते, उनकी सेवा नियम व शर्तों कानून के खण्ड 23 (3) के उद्देश्य के लिये नियम 18 के उप नियम (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रेषित अनुशसित होगी।
- viii शिक्षक कानून के खण्ड 24 (1) के तहत विशिष्टीकृत कर्तव्य पूरा करते हैं और शिक्षक स्वयं को निजी शिक्षण गतिविधियों में संलग्न नहीं करेंगे।
- 8 विद्यालय उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम लागू करेगा।
 - 9 विद्यालय कानून के खण्ड 19 में वर्णित विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक छात्रों को प्रवेश देगा। विद्यालय कानून के खण्ड 19 में विशिष्टीकृत विद्यालय के स्तरों और मानकों को बनाए रखेंगे।
 - 10 विद्यालय परिसर के भीतर या समान नाम के विद्यालय में बाहर गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाएगा।
 - 11 विद्यालय भवन या अन्य निर्माण या मैदान का दिन या रात में व्यवसायिक या आवासीय उद्देश्यों (विद्यालय के किसी कर्मचारी के आवासीय उद्देश्यों को छोड़कर) या राजनीतिक या अन्य प्रकार के अशैक्षणिक उपयोग नहीं किया जाता है।
 - 12 विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 (1860 का 21) के तहत पंजीकृत सोसायटी द्वारा या किसी कानून के तहत समयावधि के लिए गठित पब्लिक ट्रस्ट द्वारा संचालित है।
 - 13 विद्यालय का संचालन किसी व्यक्ति समूह या व्यक्तियों के समूह या अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं किया जाएगा।
 - 14 लेखा परीक्षण कराया जाना चाहिए और चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित कराया जाना चाहिए और नियमानुसार एकाउन्ट स्टेटमेन्ट तैयार किया जाना चाहिए। एकाउन्ट स्टेटमेन्ट की एक प्रकृतियां जिला शिक्षा अधिकारी को प्रत्येक वर्ष भेजा जाना चाहिए।
 - 15 आपके विद्यालय को आर्बिट्रिड मान्यता कोड नम्बर 121 है। इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार में इसे कृपया अंकित किया जाए।
 - 16 विद्यालय समय-समय पर शिक्षा संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चाही गई जानकारियों और प्रतिवेदनों को प्रदाय करता है और मान्यता की शर्तों की सतत पूर्ति करने या विद्यालय के संचालन में कमियों के निवारण के लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करता है।
 - 17 सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण आवश्यकतानुसार को सुनिश्चित किया जाए।
 - 18 अन्य शर्तों एनेक्सर के अनुसार संलग्न है।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-सूरजपुर

पृ०क्र. 291 / मान्यता / अनुमति / 2018-19.

सूरजपुर, दिनांक 18/11/2019

प्रतिलिपि,

- 1 नोडल प्राचार्य शास. उ.मा.वि. जरही को सूचनार्थ।
- 2 सहाय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी भैयाथान को सूचनार्थ।

Self attested
PRINCIPAL
D.A.V. Public School
Bhatgaon, Surajpur (C.G.)
Pin-497235

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-सूरजपुर